राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
29/2023	26.06.2023	13.07.2024

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र छोटेलाल जाति बावरिया निवासी पीपली तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अंतर्गत धारा 128, 111 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री उदयसिंह यादव–प्रार्थी
2. पैराकार सरकार– अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक 13.07.2024

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि मिन प्रार्थी की खातेदारी हाल ख.नं. 826/0.43 हैक्टेयर वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ मे स्थित हो कर मिन प्रार्थी मुताबिक जमाबंदी अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 31.05.2023 को श्रीमान तहसीलदार ,नीमराना के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई, सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। उक्त मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट के मिन प्रार्थी अपनी आराजी की पुख्ता पत्थरगढी करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार नीमराना से मिला तो उन्होंने बताया कि हमारे नाम से राजस्व न्यायालय से पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश लाने पर ही मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी की जा सकेगी का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार, नीमराना को उक्त विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 31.05.2023 के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आए एवं जवाब की आवश्यकता नही है का कथन करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पैमाईश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2023 के पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बाबत बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल ख.नं. 826/0.43 हैक्टेयर वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ की पुख्ता पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 31.05.2023 के किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार, नीमराना को उक्त निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

13-07-2024

(पंकज बड़गूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)